

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 319 ]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2026 — ज्येष्ठ 22, शक 1948

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 जून 2026

### अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35/608/2025-FOOD.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, (क्र. 23 सन् 2011), की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-127/2011/29 दिनांक 16.12.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है और नीचे दी गयी अनुसूची एवं विभागीय तालिका में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गयी समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

सरल क्रमांक 8 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

### अनुसूची

| स. क्रमांक | कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम | लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन, सेवा जो प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद) | सक्षम प्राधिकारी | अपीलीय प्राधिकारी |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| (1)        | (2)                           | (3)                                                              | (4)                                       | (5)                                       | (6)              | (7)               |
| 9.         | कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) | कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिल का नवीन पंजीयन (प्रचलित खरीफ वर्ष के  | 30 दिवस                                   | खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी              | कलेक्टर          | संभागीय आयुक्त    |

|     |                                  |                                                             |         |                                    |         |                   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|-------------------|
|     |                                  | लिए)                                                        |         |                                    |         |                   |
| 10. | कार्यालय कलेक्टर<br>(खाद्य शाखा) | राईस मिल पंजीयन में<br>संशोधन (प्रचलित खरीफ<br>वर्ष के लिए) | 30 दिवस | खाद्य<br>नियंत्रक/खाद्य<br>अधिकारी | कलेक्टर | संभागीय<br>आयुक्त |

उक्त अधिसूचना में,-

शीर्षक “नापतौल विभाग” की तालिका के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

#### विधिक मापविज्ञान

| स.<br>क्रमांक | कार्यालय/<br>निकाय/<br>अभिकरण का<br>नाम                  | लोक सेवा गारंटी<br>अधिनियम, 2011<br>के अधीन, सेवा जो<br>प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने<br>की समय-सीमा<br>(कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने<br>वाले लोक<br>प्राधिकारी (पद) | सक्षम प्राधिकारी               | अपीलीय<br>प्राधिकारी  |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (1)           | (2)                                                      | (3)                                                                       | (4)                                             | (5)                                             | (6)                            | (7)                   |
| 8.            | कार्यालय<br>नियंत्रक<br>विधिक<br>मापविज्ञान<br>छत्तीसगढ़ | संशोधन निर्माता<br>अनुज्ञप्ति नाप तौल,<br>राज्य क्षेत्राधिकार<br>(नागरिक) | 15 दिवस                                         | नियंत्रक विधिक<br>मापविज्ञान<br>छत्तीसगढ़       | संयुक्त सचिव/<br>उप सचिव खाद्य | भारसाधक<br>सचिव खाद्य |
| 9.            | कार्यालय<br>नियंत्रक<br>विधिक<br>मापविज्ञान<br>छत्तीसगढ़ | संशोधन विक्रेता<br>अनुज्ञप्ति नाप तौल,<br>राज्य क्षेत्राधिकार<br>(नागरिक) | 15 दिवस                                         | नियंत्रक विधिक<br>मापविज्ञान<br>छत्तीसगढ़       | संयुक्त सचिव/<br>उप सचिव खाद्य | भारसाधक<br>सचिव खाद्य |
| 10.           | कार्यालय<br>नियंत्रक<br>विधिक<br>मापविज्ञान<br>छत्तीसगढ़ | संशोधन सुधारक<br>अनुज्ञप्ति नाप तौल,<br>राज्य क्षेत्राधिकार<br>(नागरिक)   | 15 दिवस                                         | नियंत्रक विधिक<br>मापविज्ञान<br>छत्तीसगढ़       | संयुक्त सचिव/<br>उप सचिव खाद्य | भारसाधक<br>सचिव खाद्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गजपाल सिंह सिकरवार, संयुक्त सचिव.